

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.13(34)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 01/08/2012

:- मीटिंग कार्यवाही विवरण :-

राज्य में तहसील एवं अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों एवं प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की अध्यक्षता में सम संख्यक आदेश दिनांक 6 जून, 2012 से एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा उक्त सन्दर्भ में विभिन्न विभागों की कई बैठकें की जाकर प्रमाण पत्रों के जारी करने में आने वाली समस्याओं एवं उनके सरलीकरण बाबत सुझाव एवं प्रस्ताव प्राप्त किये। तत्पश्चात समस्त पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 22.6.2012 को प्रस्तुत की गई।

समिति से प्राप्त उक्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श एवं राज्य स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 5.7.2012 एवं 23.7.2012 को बैठकों का आयोजन किया गया। उक्त बैठकों में उपस्थिति विभिन्न विभागों के अधिकारियों/सदस्यों की सूची क्रमशः परिशिष्ट- 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

उक्त बैठकों में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहन विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया, आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेजान, प्रमाण पत्रों के प्रारूप आदि में प्रस्तावित संशोधन एवं सरलीकरण के बारे में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र :-

1. नोडल विभाग का नाम :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (आवश्यकतानुसार विशेष रूप से कार्मिक विभाग से परामर्श के आधार पर)

MP  
अत्यावश्यक  
इसके आधार पर प्रशासनिक  
आदेश जारी कर राज्य  
के सभी राजस्व अधिकारियों  
को निजवा दे।  
1.8.2012

P.A./Regr.  
2367  
I.N.....Date.....  
01/08/12

Urgent.  
E-3  
पत्रावली पर 24/8/12

449/12  
3-8-12

(आवश्यकतानुसार विशेष रूप से कार्मिक विभाग से परामर्श के आधार पर)

2. अधिकृत अधिकारी :- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो
3. पूरे राज्य में आवेदन पत्र, संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किये जाने वाला प्रमाणपत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति परिशिष्ट-ए तथा प्रमाण पत्र प्रारूप परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।
4. प्रमाण पत्र हिन्दी में जारी किया जावेगा। आवश्यकता होने एवं मांग करने पर अंग्रेजी में भी जारी किया जावेगा।
5. प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाणपत्र जारी किया जावेगा:-
  - (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (duplicate copy) जारी की जावे।
  - (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (revised certificate) जारी किया जावे।
  - (स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिये मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (renewed certificate) जारी किया जावेगा।
6. सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जावेगा।
7. अभ्यर्थी के चयन/भर्ती के अन्तिम स्तर पर ही सत्यापित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा इसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से भी किया जा सकता है। इससे पूर्व अभ्यर्थी की स्वःघोषणा एवं नोटेरी पब्लिक/

राजपत्रित अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रारम्भिक चयन कार्यवाही के लिये स्वीकार की जावे।

8. आवेदन के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक या प्रमाण पत्र नहीं मांगे जावेंगे। दो राजपत्रित अधिकारियों की तस्दीक अथवा प्रमाण पत्र के बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों ( संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/ जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/ राजकीय अधिकारी/कर्मचारी ) की तस्दीक साक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जावेगी।
9. एक व्यक्ति के सभी पुत्र-पुत्रियों के प्रमाण पत्र एक ही आवेदन पत्र पर जारी किये जा सकेंगे ; यद्यपि प्रमाण पत्र सभी के पृथक-पृथक जारी किये जावेंगे।
10. किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के द्वारा अलग से तैयार किये गये प्रारूप/बुकलेट आदि में प्रमाणपत्र नहीं मांगा जावेगा।
11. प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में नोडल विभाग द्वारा अद्यतन स्पष्ट निर्देश जारी किये जावेंगे।

**अन्य पिछडा वर्ग/विशेष अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र:-**

1. नोडल विभाग का नाम :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (आवश्यकतानुसार विशेष रूप से कार्मिक विभाग से परामर्श के आधार पर)
2. अधिकृत अधिकारी :- संभागीय आयुक्त/ अति० संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/अति० जिला कलेक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर)/उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार/नायब तहसीलदार से कम पद का नहीं हो, जहाँ उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।

५

3. कीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार कीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी कीमीलेयर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
4. ओबीसी संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु कीमीलेयर में नहीं होने संबंधित तथ्य को तीन वर्ष के लिये प्रार्थी के विधिसम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जावेगी। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा :-
  - (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (duplicate copy) जारी की जावे।
  - (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (revised certificate) जारी किया जावे।
  - (स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिये मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (renewed certificate) जारी किया जायेगा।
5. कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र-पुत्रियों के लिये पृथक-पृथक आवेदन करने की बजाय एक ही आवेदन पत्र से सभी का प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। परन्तु सभी के लिये प्रमाण पत्र अलग-अलग जारी किया जायेगा।
6. दो राजपत्रित अधिकारियों की तरदीक अथवा प्रमाण पत्र के बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों ( संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/ जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/रायपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/ राजकीय अधिकारी/कर्मचारी ) की तरदीक साक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जावेगी तथा उनके द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ट- 'सी' अनुसार होगा।
7. सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ

ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जावेगा। अन्तिम सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जा सकता है।

8. पूरे राज्य में आवेदन पत्र, संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा जारी किये जाने वाला प्रमाणपत्र का एक समान प्रारूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.
  - (अ) पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र (नोन कीमीलेयर) कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ट प्रारूप परिशिष्ट- 'डी' के अनुसार जारी किया जायेगा।
  - (ब) विशेष पिछडे वर्ग (नोन कीमीलेयर) का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2009 में निर्दिष्ट प्रारूप परिशिष्ट- 'ई' के अनुसार जारी किया जायेगा।
  - (स) केवल अन्य पिछडा वर्ग व केवल विशेष अन्य पिछडा वर्ग के लिये जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप उपरोक्त परिशिष्ट- 'डी' व 'ई' के अनुसार कीमीलेयर में नहीं होने संबंधित पैरा-3 को काट कर (delete) कर जारी किया जायेगा।
- 10 आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य सरकार (कार्मिक (क-5) 90 दिनांक 21 मार्च, 1994 द्वारा निर्धारित है) जो परिशिष्ट- 'एफ' अनुसार है।

**मूल निवास प्रमाण पत्र :-**

1. नोडल विभाग का नाम :- गृह विभाग
2. अधिकृत अधिकारी :- जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
3. प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में पदस्थापित समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उप जिला मजिस्ट्रेट / सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार) का कार्य क्षेत्र अपने स्तर पर विभाजित किया जावेगा।



4. मूल निवास प्रमाणपत्र केवल एक बार ही जारी किया जावेगा। निम्न परिस्थितियों में दुबारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा :-
  - (अ) प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति (duplicate copy) जारी की जावे।
  - (ब) नाम बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र (revised certificate) जारी किया जावे।
  - (स) कालान्तर में आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिये मांग पर नये फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (renewed certificate) जारी किया जावे।
5. संशोधित एवं नवीनीकृत प्रमाण पत्रों के जारी होने पर पूर्व में जारी किया हुआ प्रमाण पत्र निरस्त कर लौटा दिया जावेगा।
6. प्रमाण पत्र हिन्दी में जारी किया जायेगा। आवश्यकता होने एवं मांग करने पर अंग्रेजी में भी जारी किया जायेगा।
7. सभी विभाग मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति को आवेदन पत्र के साथ ग्रहण योग्य मानेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करवाया जायेगा। अन्तिम सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से किया जा सकता है।
8. अभ्यर्थी के चयन/भर्ती के अन्तिम स्टेज पर ही सत्यापित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। इससे पूर्व अभ्यर्थी की स्व.घोषणा एवं नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र ही प्रारम्भिक चयन कार्यवाही के लिये स्वीकार किया जावे।
9. आवेदन के साथ दो राजपत्रित अधिकारियों की तरदीक या प्रमाण पत्र नहीं मांगे जावेगें। दो राजपत्रित अधिकारियों की तरदीक अथवा प्रमाण पत्र के बजाय किन्ही दो उत्तरदायी व्यक्तियों ( संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/ जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/ राजकीय अधिकारी/कर्मचारी ) की तरदीक साक्ष्य हेतु ग्राह्य मानी जावेगी।

८

10. एक व्यक्ति के सभी पुत्र-पुत्रियों के प्रमाण पत्र एक ही आवेदन पत्र पर जारी किये जा सकेंगे। हालांकि प्रमाण पत्र सभी के पृथक-पृथक जारी किये जायेंगे।
11. किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के द्वारा अलग से तैयार किये गये प्रारूप/बुकलेट आदि में प्रमाण पत्र नहीं मांगा जावेगा।
12. आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेजात् परिशिष्ट- 'जी' अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।
13. मूल निवास प्रमाण पत्र परिशिष्ट- 'एच' के प्रारूप अनुसार जारी किया जायेगा।
14. उक्त संबंध में अद्यतन संशोधित निर्देश नोडल विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

#### आय प्रमाण पत्र :-

1. आय संबंधित आदेश/निर्देश/परिपत्र आदि जारी करने हेतु नोडल विभाग 'राजस्व विभाग' होगा।
2. पूर्व की भांति अब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा, अपितु प्रार्थी/आवेदक स्वयं द्वारा अपनी आय का उदघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके समर्थन में आवेदक को प्रमाणित शपथ पत्र व दो उत्तरदायी व्यक्तियों की साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय उदघोषणा पत्र का प्रारूप परिशिष्ट- 'आई' अनुसार होगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रारूप परिशिष्ट- 'जे' अनुसार होगा। यह शपथ पत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी से प्रमाणित होगा।
5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय साक्ष्य परिशिष्ट- 'के' अनुसार होगा। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ( संसद सदस्य/विधान सभा



सदस्य/ जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद  
सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर  
पालिका अध्यक्ष/नगर पालिका सदस्य/ राजकीय  
अधिकारी/कर्मचारी ) होंगे।

- 6- गत वर्ष के आयकर रिटर्न की पावती की सत्यप्रति एवं पैनकार्ड की सत्यप्रति (केवल आयकर रिटर्न भरने की दशा में ही देय होगी)
7. बीपीएल कार्ड धारकों के लिये बीपीएल कार्ड को ही आय के लिये मान्य समझा जावेगा, इनसे पृथक से आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
8. उक्त संबंध में अद्यतन संशोधित निर्देश नोडल विभाग द्वारा जारी किये जावेंगे।

**जन्म और मृत्यु पंजीकरण (विलम्बित) हेतु आदेश पत्र :-**

1. नोडल विभाग का नाम :- सांख्यिकी विभाग
  2. अधिकृत अधिकारी :-
    - (अ) वर्तमान में 30 दिवस से 1 वर्ष तक के विलम्बन (I) शहरी क्षेत्र के लिये  
:- नगरीय आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी (II) ग्रामीण क्षेत्र के लिये :-  
जिला सांख्यिकी अधिकारी/विकास अधिकारी अधिकृत हैं।
    - (ब) वर्तमान में 1 वर्ष से अधिक विलम्बन के लिये समस्त जिला क्षेत्र हेतु :-  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट ( उपखण्ड मजिस्ट्रेट/ सहायक कलक्टर/  
तहसीलदार ) अधिकृत हैं।
- उक्त प्रावधान में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
3. 30 दिवस के उपरान्त तथा 1 वर्ष के अन्दर जन्म की सूचना देने संबंधित प्रारूप शपथ पत्र व प्रमाणीकरण परिशिष्ट- 'एल' के अनुसार होगा। वर्तमान में जयपुर नगर निगम द्वारा इसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।


*M*



4. एक वर्ष के बाद जन्म की सूचना देने संबंधित प्रारूप शपथ पत्र व प्रमाणीकरण परिशिष्ट- 'एम' के अनुसार होगा। वर्तमान में जयपुर नगर निगम द्वारा इसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
5. शपथ पत्र तस्दीक हेतु जिला कलक्टर द्वारा जिले में स्थित अतिरिक्त कलक्टर/ उपखण्ड अधिकारी/ सहायक कलक्टर/ तहसीलदार के मध्य कार्य विभाजन किया जावेगा।
6. सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता के लिये नोडल विभाग उक्तानुसार परिपत्र के साथ वांछित प्रारूप जारी करेंगे।


**कृषि कूप पर नया/शिफ्ट विद्युत कनेक्शन हेतु प्रमाण पत्र :-**

1. नोडल विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
2. कृषि कनेक्शन/ शिफ्ट विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये जमाबन्दी, नक्शा आदि राजस्व रेकार्ड को ही ऊर्जा विभाग द्वारा मान्य किया जावेगा।
3. कुएं के सूखने/पानी खारा होने आदि का प्रमाण पत्र राजस्व कर्मचारियों (पटवारी/गिरदावर/तहसीलदार) द्वारा जारी किये जाने की प्रथा समाप्त की जावे। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ही स्वयं के स्तर पर सत्यापन करेंगे।

  
डा० (श्रीमति) मालोविका पंवार  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
9. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
10. निजी सचिव, निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
11. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान

  
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

दिनांक 5.7.2012 को मीटिंग में उपस्थिति अधिकारियों का विवरण

परिशिष्ट- 'अ'

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम
1	श्री अशोक सम्पतराम	अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग
2	श्री राकेश वर्मा	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
3	डा० (श्रीमति) मालोविका पंवार	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
4	श्री सुदर्शन सेठी	प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
5	श्री राजीव स्वरूप	प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
6	श्री कुंजी लाल मीना	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
7	श्री प्रवीण गुप्ता	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8	श्री आर.सी. डेनवाल	उप शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
9	श्री हेमन्त शेष	निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
10	डा. जी. के. तिवारी	पूर्व सदस्य, राजस्व मण्डल मण्डल राजस्थान, अजमेर
11	श्री ताराचन्द्र सहारण	पूर्व सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

K

दिनांक 23.7.2012 को मीटिंग में उपस्थिति अधिकारियों का विवरण

परिशिष्ट- 'ब'

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम
1	श्री अशोक सम्पतराम	अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग
2	श्री राकेश वर्मा	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
3	श्री मुकेश शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
4	श्री राजीव स्वरूप	प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग
5	श्रीमति वीनू गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
6	श्री कुंजी लाल मीना	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर
7	श्री प्रवीण गुप्ता	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8	श्री हेमन्त शेष	निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
9	डा. जी. के. तिवारी	पूर्व सदस्य, राजस्व मण्डल मण्डल राजस्थान, अजमेर
10	श्री ताराचन्द सहारण	पूर्व सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

u

**जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र**  
( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)

कोट फीस स्टाम्प  
2/- रुपया

**1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ से चिह्न करें)**

1 प्रार्थी का नाम\* :-

2 पिता का नाम\* :-

3 निवास स्थान का पूर्ण पता\*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साइज)

(अभिप्रेक्षा करने वाले  
उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो  
सत्यापित कराये)

4 गाँव/शहर\* :-

तहसील\* :-

जिला\* :-

5 जन्म दिनांक :-

जन्म स्थान\* :-

उम्र\* :-

6 लिंग\* :-

पुरुष

महिला

वैवाहिक स्थिति :-

विवाहित

अविवाहित

7 धर्म(आवेदक)\* :-

जाति\* :-

अनुसूचित जाति/जन जाति

उपजाति\* :-

8 धर्म(पिता का)\* :-

जाति\* :-

उपजाति\* :-

9 प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है\* :-

10 क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है\* ?

हाँ

नहीं

11 मोबाईल नम्बर

(जिस पर प्रार्थी आवेदन से सम्बन्धित एस.एम.एस. द्वारा सूचना आता है)

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

2.

**हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट\***

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

के/की है। यह अनुसूचित जाति/जन जाति की उपजाति

का/की है।

प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर

दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी

हलका नं

3.

प्रमाण-पत्र

(i) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  पद  पर कार्यरत

हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जन जाति की उपजाति  का/की है,

तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  पद  पर कार्यरत

हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अनुसूचित जाति/जन जाति की उपजाति  का/की है,

तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

4. नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें :-

आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएँ (स्टैपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंका करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशंका करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पत्ति के भालिकाना हक सम्बन्धी/किरायेनामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी/भूत निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा - संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिलापरिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/...

*अधिकारी - जिला प्रमुख*

5.

शपथ-पत्र\*

मैं  पुत्र / पुत्री श्री

निवासी

गाँव / शहर  तहसील  जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि -

(1) मैं राजस्थान के अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग की अधिकृत सूची में सम्मिलित जाति  का/की सदस्य हूँ।

(2) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट(विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।

(4) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि सूचना सं. 1 से 4 की उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशांका करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

*Chauhan*

परिशिष्ट - 8

अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में प्रायः अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणों का संग्रह

जाति का प्रमाण पत्र फार्म	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/स्वामी	
सुपुत्र । पुत्री	गावा नगर
जिला दिवीजन	राज्य संघ राज्य क्षेत्र
जाति समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है :-	
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, १९५०	
संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, १९५०	
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, १९५१	
संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, १९५१	
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति सूचिसूची (संशोधन) आदेश, १९५६, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६० पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, १९६६, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, १९७० उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ द्वारा गठित किये गए (अनुसूचित जाति) अनुसूचित	
संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, १९५६	
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ द्वारा संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, १९५६	
संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, १९६२	
संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, १९६२	
संविधान (पांडोवरी) अनुसूचित अनुसूचित जाति आदेश, १९६४	
संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, १९६७	
संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश, १९६८	
संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश, १९६८	
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश, १९७०	61



(2)

श्री. श्रीमति. सुमारी

परिवार

जिला: छिदीजन

राज्या संघ राज्य क्षेत्र

सामान्यतया रहता है।

हस्ताक्षर

पद नाम

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान

राज्या संघ राज्य क्षेत्र

तारीख

कृपया उन शर्तों को हटा दीजिये जो लागू नहीं हैं।

विशेष ध्यान दें

यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतया रहता है शर्तों का अर्थ यही होगा

जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २० में है।

रखनी

२६-१-७८

पिछड़ा वर्ग आरक्षण द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति

**परिशिष्ट सी**

4.

(i) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  कार्यालय का नाम

पद  पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति  का/की है, तथा उनके

द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह\* :

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  कार्यालय का नाम

पद  पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की जाति  का/की है, तथा उनके

द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

**हल्का पटवार जॉच रिपोर्ट**

श्रीमान् मुलाबिक जॉच, गवाहो एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री  जाति  अन्य/विशेष पिछड़े वर्ग की उगजाति

का/की है। प्रार्थी क्रिमलियर की श्रेणी में आता है/नहीं आता है।

हस्ताक्षर पटवारी

हलका नं.

5. नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें -

आवेदक की नवीनतम फोटो जिससे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाए (स्टेपस नहीं करना है) तथा उसे अभिलेखा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिलेखा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

राशन कार्ड/मतादाता सूची/अधत सभ्यता के, कलिकाना हक सम्बन्धी/किरायाकाम/नया करेकान/बिलतली, पानी टैरीफोन बिल-पत्ती प्रमाणित प्रति।

पिता की जाति के सत्य हेतु प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र), भूमि की जमाबंदी आय प्रमाण पत्र/आय कर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/शिक्षा प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा - संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिलापरिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर(सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर / बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/

6.

शपथ-पत्र/बयान\*

मैं  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

गाँव/शहर  तहसील  जिला

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि -

- (1) मैं राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/विशेष पिछड़ा वर्ग की जाति  का/की सदस्य हूँ।
- (2) मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाखण्ड अनुरूपिता के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह 'क' वर्ग-1, समूह 'ख' वर्ग-2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नहीं थे।
- (3) मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में पद  पर कार्यरत है/थे।
- (4) मेरे माता/पिता की समस्त स्रोतों से मासिक आय  ₹ है।
- (5) मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।
- (6) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट(विरथापित) होकर नहीं आये हैं।
- (7) यह कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रिमीलियर का हूँ / नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने के लिए पात्र हूँ, चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के गिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मैं समझता हूँ कि अम्यर्थता/नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिये और उत्तरदायी होऊँगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावे।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिज्ञान करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

*L. A. M.*

प्रमाणित पारदर्शी सोडन  
जोडण

रजिस्ट्रेशन सं.....

दिनांक

राज्य के पिछड़े वर्ग का होने तथा  
किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नही होने के  
प्रमाण पत्र का प्रपत्र \*

यह प्रमाणित किया जाता है कि ;

1. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/नगर \_\_\_\_\_ की निवासी हैं तथा ये/  
और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते है।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.11(164)आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.  
डी/09/47032 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत व  
अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से \_\_\_\_\_ वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
3. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु  
उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.  
7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर  
(सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

सक्षम अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की मोहर/सील सहित

\* (राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में  
सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

परिशिष्ट-ई

रजिस्ट्रेशन सं. ....

दिनांक

**राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का होने तथा  
किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के नहीं होने के  
प्रमाण पत्र का प्रपत्र \***

यह प्रमाणित किया जाता है कि ;

1. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री  
राजस्थान राज्य के जिला \_\_\_\_\_ में ग्राम/नगर \_\_\_\_\_ की निवासी है तथा ये,  
और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता/करती/करते है।
2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ राज्य सरकार के  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. प.स.सि.जी.आर. एफ. 10/09/46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के निम्न पिछड़े वर्गों की अधिसूचित  
व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से \_\_\_\_\_ वर्ग/वर्गों के/की सदस्य  
हैं।
3. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ आरक्षण हेतु उक्त  
वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यात्मक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.  
7(8)कार्यात्मक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर  
(सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

साक्षर अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर  
कार्यालय की गोदर/सील सहित

\* (राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पार्षद तथा राज्य की विधिक  
संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ)

*Handwritten signature*

96

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों के आरक्षण के लिए पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिए

## आवेदन - पत्र

[ तथापि, यह प्रारूप केवल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त मदे रक्षानीय स्थिति की उपयुक्त के अनुसार प्रारूप में सम्मिलित की जा सकेगी। ]

प्रेषिती

.....  
.....  
.....

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र मन्जूर किया जाए।

मैं आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूँ-

1. आवेदक का पूरा नाम  
(बड़े अक्षरों में)
2. जन्म तिथि
3. निवास का पूर्ण पता  
(क) वर्तमान  
(ख) स्थाई
4. धर्म
5. जाति
6. उपजाति
7. उपजीविका-वर्ग
8. अ० वि० ट० की राज्य सूची में  
जाति का क्रम संख्यांक
9. पिता का नाम
10. माता का नाम
11. पति का नाम
12. माता-पिता, पति की प्रास्थिति

पिता                      माता                      पति

.....

- [ क ]            सवधानिक  
[ ख ]            आवेदित पद का नाम  
[ ग ]            सरकारी सेवार्ये

*ay*

97

( 2 )

पिता

माता

पति

- (I) सेवा (केन्द्रीय / राज्य)
- (ii) पद नाम
- (iii) वेतनमान वर्गीकरण सहित यदि कोई हो।
- (iv) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (v) वर्ग/ पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू न हो)
- (II) अन्तराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ सयुक्त राष्ट्रीय यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद नाम
- (iii) सेवा की कालाविधि  
(दिनांक ..... से ..... तक)
- (III) मृत्यु/स्थायी अक्षमता यदि लागू न हो तो छोड़ दीजिए।
- (i) मृत्यु/ अधिकारी की स्थायी अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा अयोग्य हो गया हो।
- (ii) स्थायी अक्षमता का द्यौरा
- (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन
- (i) संगठन का नाम
- (ii) पद का नाम
- (iii) पद पर नियुक्ति की तारीख
- (घ) पैरा फिलिटरी बलों की सम्मिलित हुये सशस्त्र बल  
.....  
[ इसमें सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे ]
- (i) पद का नाम
- (ii) वेतनमान
- (ङ) व्यवसाय वर्ग उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति।  
.....
- (i) उप-जीविका / वृद्धि
- (च) सम्पत्ति के स्वामी
- (छ) कृषि जोत ( माता-पिता और अव्यक्त बच्चों के स्वामित्व में )
- (1) अवस्थिति

*awp*

98

जोत का आकार

(3) क-सिंचित :

ख- सिंचित भूमि का आकार

1

2

3

(ख) असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित / असिंचित दोनों प्रकार का है जो राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में सपरिवर्तन फार्मुला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत प्रतिशत।

ग बागान

1. फसल/ फल

2. अवस्थिति

3. बागान का क्षेत्र

घ नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और या भवन

1 सम्पत्ति की अवस्थिति

2 सम्पत्ति का ब्यौरा

3 उपयोग जिसके लिए वह रखी गई है।

ड आय धन।

घ 1 समस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय वेतनों और कृषि भूमि में आय की अपवर्तित करते हुए।

2 क्या कर दाता है हाँ/ नहीं ( ) यदि हाँ तो गत तीन वर्षों का विवरण को प्रति दी जावे।

3 क्या धनकर अधिनियम के अन्तर्गत आता है हाँ/ नहीं ( ) यदि ऐसा हो तो ब्यौरा दीजिए।

च अन्य कोई अम्युक्तियां

छ मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान को विश्वास के अनुसार सत्य है और कि मैं अन्य पिछड़े वर्गों का क्रीमिलियर का नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित के पदों लिए किये जाने के लिए पात्र हूँ वयन के पूर्व या पश्चात किसी को सूचना के मिथ्या या गलत प्राये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अम्युक्ति नियुक्ति रद्दीकरणीय होगी और मैं ऐसी कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के द्वारा उपाधित की जाये।

स्थान

भवदीय

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

### प्रमाणीकरण

(1) प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच की गई सत्य व सही पाये गये।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी जाति से..... है जो पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है और इस पर अपवर्जन क्रीमिलियर का नियम लागू नहीं होता है।

हस्ताक्षर ~~.....~~ दो उत्तरदायी व्यक्ति

हस्ताक्षर प्रशासक/ सरपंच

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



184

परिशिष्ट-एफ

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये नोकरीयों के आरक्षण के लिये पात्रता हेतु प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन का प्रारम्भ ।

तथापि, यह प्रारम्भ केवल माँडल के समूह में प्रयुक्त किया जायेगा। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त में स्वास्थ्य स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार प्रारम्भ में अतिरिक्त की जा सकेगी।

प्रेषिती

-----  
-----  
-----

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे राजस्थान सरकार के अधीन के सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाए। अतः मैं आवश्यक विशिष्टता नीचे दे रहा हूँ :-

- 1- आवेदक का पूरा नाम :  
[ ] अक्षरों में [ ]
- 2- जन्म तिथि:
- 3- निवास का पूर्ण पता:  
[ ] वर्तमान  
[ ] स्थाई
- 4- धर्म :
- 5- जाति :
- 6- उपजाति :
- 7- उप जीविका - वर्ग
- 8- अ.पि.व.की राज्यांश में  
जाति का द्रम संख्यांक :
- 9- पिता का नाम
- 10- माता का नाम
- 11- पति का नाम
- 12- माता-पिता/पति की प्राप्ति स्थिति

पिता	माता	पति

*[Handwritten signature]*

[ ] सामाजिक पद  
[ ] पद नाम  
[ ] सरकारी सेवा में

75

111. सेवा, क्षेत्रीय/राज्य

112. पद नाम

113. क्लेममान, कार्यकरण बंदित, यदि कोई हो।

114. पद पर नियुक्ति की तारीख

115. का। पद पर पदोन्नति के समय आयु यदि लागू हो।

116. अंतरराष्ट्रीय/भारतीय उदाहरणार्थ नियुक्त राष्ट्र, यूरोप, विश्व न स्वास्थ्य-संगठन में नियोजन।

117. संगठन का नाम

118. पद नाम

119. सेवा की कालावधि

दिनांक ----- से ----- तक

120. मृत्यु/स्वाची अक्षमता यदि लागू नहीं हो तो जोड़ दीजिये।

121. मृत्यु/बिधारी की स्वाची अक्षमता की तारीख जबसे वह सेवा के अधीन हो गया हो।

122. स्वाची अक्षमता का आधार

123. अधिकार सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

124. संगठन का नाम

125. पद नाम

126. पद पर नियुक्ति की तारीख

127. वेतन पिछड़ी वर्गों को सम्मिलित करने हुए राज्य का इन्हें निम्न पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।

128. पद नाम

129. क्लेममान

130. व्यक्तियों को जोड़ने जो पद पदों में उच्च और निम्न के अन्तर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति।

131. उप-नियुक्ति/वृत्ति

132. समाप्ति के कारणों।

133. कृषि जोड़ी : माता, पिता और अन्य व्यक्तियों के स्वामीत्व में।

134. अवस्थिति

17/3

- § 115 जेत का प्रकार
- § 116 उक्त विधि
- § 117 विहित भूमि का प्रकार
- § 118
- § 119
- § 120 अश्वि
- § 121 राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधियों के अधीन आगूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में विहित जेत का प्रतिफल ।
- § 122 यदि जेत विहित / अविहित दोनों प्रकार की है तो राज्य भूमि अधिकतम सीमा क्षेत्र विधि में अधिकतम फार्फा के आधार पर कुल विहित जेत ।
- § 123 § 121 के अनुसार आगूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल विहित जेत का प्रतिफल
- § 124 § 123 बागान :
- § 125 फल/फल
- § 126 अविस्थित
- § 127 बागान का क्षेत्र
- § 128 § 121 नगरीय क्षेत्रों या नगर जस्ती में रिक्त भूमि और / या भूमि
- § 129 सम्पत्ति की अवस्थिति ।
- § 130 सम्पत्ति का स्थान ।
- § 131 उपयोग जिसे लिये वह रखी गयी है ।
- § 132 आरक्षण

लक्ष्मीनन्दन भू विज्ञान से 26 जमा  
 राज्य भूमि की कक्षा प्राप्ति  
 किया जाये ।

- § 133 अस्त स्रोतों से कुटुम्ब की वार्षिक आय सेतरी और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुये
- § 134 क्या करदाता है § 133/वर्षी § 133 यदि हाँ तो उस तीन वर्षी की पिछाणी की प्रति दी जाये
- § 135 क्या का कर अधिविषय के अन्तर्गत आता है § 133/वर्षी § 133 यदि ऐसा है तो अगौरा तीजिये
- § 136 अन्य कोई अभ्युक्तिपूर्ण ।
- § 137 जो प्रमाणित करता है कि उपयुक्त विधिकीयों को अतिम मान और विक्रय के अनुसार सत्य है और कि वे सत्य, पिछले वर्षों की प्रीमि तिभार का नहीं हैं और अन्य पिछले वर्षों के विधि वारंजित गतों के विधि विचार किये जाने के विधि-पाव हैं, तब के पूर्व या पश्चात् विधी भी सत्य के विधि या गत पर, जो कि का दम में या आकरा का पता कभी पर, में उपरान्त है कि अ वारंजित/अभ्युक्ति सदैव करणीय होगी और जो ऐसी कार्यवाही के विधि और उत्तरदायी होकर जो विधि की या विधि के उपरान्त की जाये ।

आय  
 विधि  
 Cur

नगरीय,  
 अन्वय के दस्तावेज

परिशिष्ट- "अ"

राजस्थान सरकार के अधीन के पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिये पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जारी प्रमाण-पत्र का प्रमाण-पत्र

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी-  
पुत्र/पुत्री/पत्नी/--- जिला/खण्ड-  
ग्राम/नगर-  
जिला/खण्ड-

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 11/25/आर.एण्ड.पी./सकवि/46631 दिनांक 27.8.93 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्गों के अधिसूक्त व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से --- और/या उक्त दस्तावेजों में स्थायी तौर से निवास कर रहा है।  
जिला/खण्ड-  
राज्य के

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना संख्या प. 9/88/कारि/क-5/90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबंट अनुसूची के धस्ताम्य 3 में उल्लिखित अपभ्रंश का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात् उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों में शामिल नहीं है।

हस्ताक्षर  
जाति प्रमाण-पत्र जारी करने  
वाले अधिकारी

दिनांक  
78

# परिशिष्ट - जी

विभाग द्वारा प्रस्तावित

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

फोटो

क्र. सं.	राज्य	साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज
1.	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो.	<ul style="list-style-type: none"> <li>माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> <li>समाप्ति 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> <li>10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> </ul>
2.	उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान में 10 वर्षों या अधिक वर्षों से पकान हो और यदि उनका पकान हो और यदि उनका पकान नहीं है तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हैं.	<ul style="list-style-type: none"> <li>माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> <li>समाप्ति 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> <li>10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> </ul>
3.	वेहें या उसके माता-पिता 10 वर्षों या अधिक से किराये के पकान में रहे रहें हो/रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किराया-नामा प्रस्तुत किया जा सकेगा.	<ul style="list-style-type: none"> <li>माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> <li>समाप्ति 10 वर्षों का किराया-नामा व चुनाव पहचान/अन्य फोटो पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस</li> <li>10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र</li> </ul>
4.	उन महिलाओं की दशा से जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पारसपोर्ट/हाइडिंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र</li> </ul>

I

1. प्रार्थी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. वर्तमान स्थायी पता.....
4. पिता/पति का मूल स्थान.....
5. पिता/पति का व्यवसाय.....
6. पिता/पति के व्यवसाय का पता.....
7. जन्म स्थान.....
8. जन्म दिनांक.....
9. आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की
 

स्थान	शिक्षण संस्थान का नाम
कक्षा 1 से 9	.....
10 वीं	.....
12 वीं	.....
स्नातक	.....
स्नातकोत्तर	.....
अन्य	.....
10. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान.....
11. क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ..... हाँ/नहीं
12. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रहा रहा है.....
13. मोबाईल नम्बर.....

(स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है)

II महिला के लिए

1. क्या आप विवाहित हैं ?
2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?
3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?
4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?

*(Handwritten signature)*

File No: Banshiwa

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर

प्रार्थी के

निवासी, मान ली जायेगी। यदि उसने राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी नहीं की है, तो राज्यों सरकार या राजस्थान सरकार के संबंधित उपकरण में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (ISP) के लिए लागू नहीं होगा)

दिल/पत्र के मातृ/पिता के साथ 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी नहीं की है, तो राज्यों सरकार या राजस्थान सरकार के संबंधित उपकरण में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (ISP) के लिए लागू नहीं होगा)

### उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
निवासी ..... राजकीय सेवा  
पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीयां श्री/श्रीमती.  
..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी  
..... को भली भाँति जानता हूँ यह ..... वर्षों से उक्त निवास  
जिला ..... राजस्थान में निवास कर रहा/रही है।

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

(2) मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
निवासी ..... राजकीय सेवा  
..... पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीयां  
श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी  
..... को भली भाँति जानता हूँ यह ..... वर्षों से  
उक्त निवास जिला ..... राजस्थान में निवास कर रहा/रही है।

(हस्ताक्षर द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन के पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें :-

1. आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पत्र चिपकाए (स्टेपल नहीं करें) तथा दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ पत्र। (शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी, महापौर, नगर

File: Manoj Banshiwai

पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस)  
का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन जांचकर्ता की रिपोर्ट :-

1. प्रार्थी द्वारा भरा विवरण। (महिलाओं के लिए I & II) सही एवं पूर्ण है।  
हाँ/नहीं
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एवं सही है।  
हाँ/नहीं  
यदि नहीं तो विशेष विवरण

.....प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास  
दिया जाना उचित है/अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है।  
आवेदन पत्र पर आपत्तियाँ.....

हस्ताक्षर लिपिक

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश

1. प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर मूल निवास जारी करने के  
आदेश जाते हैं।
2. आवेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण/अन्य कारण.....  
खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी

(शपथ पत्र पाईपेपर पर टंकित कर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना होगा)  
(शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के  
अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

शपथ पत्र  
(नाबालिग होने की दशा में)

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....

निवासी.....

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं.....नगर का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
3. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा.....(शहर) की है।
4. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
5. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ

ग्रहिता

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में)

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....

निवासी.....

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

1. यह है कि मैं.....नगर का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मैं.....पुत्र/पुत्री हूँ, जो नाबालिग है इस कारण से यह शपथ पत्र में अपनी ओर से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन.....वर्ष है।
3. यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म.....(शहर) में ही हुआ है।
4. यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी.....(शहर) कर रहा है।
5. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
6. यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता



**शपथ पत्र**  
(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं ..... पत्नी श्री .....  
निवासी .....

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :-

1. यह कि मैं विवाह पश्चात् उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
2. यह है कि मेरे पति राजस्थान का मूल निवासी है।
3. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
4. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

हरताक्षर शपथ ग्रहिता

**सत्यापन**

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हरताक्षर शपथ ग्रहिता

*Handwritten signature*

मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा  
राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, .....  
जिला-.....

फोटो

क्र : .....

दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री श्री  
..... निवासी ..... (तहसील ..... जिला .....)  
..... राजस्थान का मूल  
निवासी है।

आज दिनांक ..... को मूल निवास प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर से  
प्रचलित किया गया।

जारीकर्ता के हस्ताक्षर  
जारीकर्ता का नाम व पद  
जारीकर्ता की मोहर

नोट :-

1. राजस्थान सरकार के गृह (घुप-9) विभाग की परिपत्र क्रमांक प.15/1(32)गृह-9/81 पार्ट-II दिनांक ..... के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। उक्त परिपत्र के तहत जिला, कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।
2. उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, योग्यता छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने, केन्द्र/राज्य सेवाओं में नियोजन प्रयोजनों एवं भूमि आदि के आवंटन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज जिले के संबंधित प्रदाता अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. मूल निवास एक बार ही बनाया जावेगा। लेकिन नाम या पता संशोधन हेतु भुग हो जाने, कट-फट जाने या खराब हो जाने पर, फोटो पुरानी हो जाने की (कम उम्र में प्रमाण पत्र बनने के कारण) परिस्थितियों में पुनः उसी स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की संशोधित/दोहरी प्रति (Duplicate Copy) बनवा सकता है।
5. सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ सत्य प्रतियों काम में ली जा सकती है।

विशिष्ट  
अनुसंधान  
प्रेस-स  
के अन्त  
संशोधित  
किया  
जावे।

*Manoj*

1. आय

आय सूचना (वैकल्पिक विवरण को पंजीयन करें)

प्राप्ति का फॉलो

करदाता को

आयदाता व्यक्ति से प्राप्त  
संग्रहित करें

3 निवास स्थान का पूर्ण पता\*

(क) वर्तमान पता :-

(ख) स्थाई पता :-

4 गाँव/शहर \*

तहसील \*

जिला \*

5 जन्म दिनांक

जन्म स्थान :-

उम्र

6 लिंग \* :-

पुरुष

महिला

नैवाहिक स्थिति :-

विवाहित

अविवाहित

7 धर्म :-

जाति :-

उपजाति :-

8 क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है ?

हाँ

नहीं

9 क्या आप आय कर दाता है ?

हाँ

नहीं

10 मोबाईल नम्बर

11 पैन कार्ड होने की दशा में पैन कार्ड नम्बर ..... एवं आयकर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

12 टिन नम्बर होने की दशा में टिन नम्बर ..... एवं वाणिज्यिक कर विभाग की रिटर्न की अद्यतन प्रति संलग्न करें।

13 परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण\* :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	उम्र	सम्बन्ध मुख्य से	कार्य/व्यवसाय व उद्योगी प्रकृति	वार्षिक आय (₹)
1					
2					
3					
4					

अन्य शोध से प्राप्त (यथा संकाल किराया, ब्याज, वेतन, बोनस, पेंशन, इत्यादि)

किसी भी त्रुटि/कमि/अतिरिक्त विवरण भेरी जाकारी एवं विवरण में परिवर्तन होने पर आयदाता को आयकर विभाग को सूचित करने का दिनांक: 24/12/2017 तक है अन्यथा आयदाता को आयकर विभाग को सूचित करने का दिनांक: 24/12/2017 तक है अन्यथा आयदाता को आयकर विभाग को सूचित करने का दिनांक: 24/12/2017 तक है

स्थान

*(Handwritten Signature)*

आवेदक के हस्ताक्षर  
प्राप्ति

# परिशिष्ट - 1

6

शपथ-पत्र

प्राची का फोटो

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... उम्र..... निवासी.....  
 ..... तहसील..... जिला..... राजस्थान शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/

- हूँ:-  
 1. यह कि मुझे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष.....)के प्रमाण स्वरूप उदघोषणा करनी है।  
 2. यह कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय (वर्ष.....)के सम्बन्ध तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	परिवार के सदस्य का नाम	व्यवसाय	प्राची से सम्बन्ध	वार्षिक आय रुपये में
1	2	3	4	5

द्वारा.....

3. यह कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि/व नोशनल शेयर के धारित कुल भूमि का वितरण इस प्रकार है:-

गाँव का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	सिंचित/असिंचित	वर्ष
1	2	3	4	5	

4. यह कि मेरे परिवार में अन्य स्रोतों से आय निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	आय के अन्य स्रोत (यथा गतव शतपर्जि, विराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फण्ड आदि से आय)	वार्षिक आय
1	2	3

कुल/समस्त वार्षिक आय	वर्ण(पैरा) सं.2,3,4का योग
----------------------	---------------------------

5. यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार मेरे परिवार की कुल/समस्त वार्षिक आय .....रुपये अक्षरे .....रुपये है।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे व मेरे परिवार के किसी सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से शिथिल आय किसी प्रयोजनाय नहीं दर्शायी है तथा न ही इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।
7. मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि यह तथ्य मेरी जानकारी में है कि इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथ-पूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की वर्ण संख्या 1 से 7 मेरी निजी जानकारी से लिखाया गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

हस्ताक्षर पहचानकर्ता

1.....

2.....

(नाम, पता, स्थान व दिनांक सहित)

प्रमाणीकरण


उपरोक्त शपथकर्ता नाम ..... पिता का नाम ..... जाति ..... उम्र ..... जिवारसी ..... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान ..... के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट/कोटेरी पुलिसक) का नाम व पद भरें

स्थान

दिनांक



**उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए-ए प्रमाण पत्र**  
**परिशिष्ट - के**

2.

(i) गवाह :

ने  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  पद

पर कार्यरत हैं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ, इनकी वार्षिक आय  ₹ है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

जांचें  
 नाम के (हस्ताक्षर मन्सूर/उत्तरदायी व्यक्ति)  
 दिनांक

(ii) गवाह :

ने  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

विभाग का नाम  पद

पर कार्यरत हैं एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया  पुत्र/पुत्री श्री

निवासी

को भली प्रकार से जानता हूँ, इनकी वार्षिक आय  ₹ है, इसके अलावा प्रार्थी के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

जांचें  
 दिनांक  स्थान   
 (हस्ताक्षर मन्सूर/उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाए (स्टैपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशाप करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावे।

उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा - सतद सदस्य/विमान सभा सदस्य/समाजिक अधिकारी/विन प्रमुख/समाजिक कार्यकर्ता/सदस्य/सहायक/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नाल नियम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/संबंधी पीएचडी/सीएचडी के डॉक्टर / बी डी ओ / सहायक अभियंता/

विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रारूप

(30 दिन के बाद एवं एक वर्ष के भीतर जन्म की सूचना देने पर)  
(नोटिरी पब्लिक/अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाना है)

शपथ पत्र (जन्म)

फोटो

मैं (आवेदक का नाम).....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....वर्तमान आयु .....  
निवासी (वर्तमान पता).....  
(लड़का/लड़की से सम्बन्ध लिखें) .....शपथ पूर्वक  
बयान करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम).....के  
एक जीवित लड़का/लड़की जिसका नाम .....  
...लिंग .....जन्म तिथि .....जन्म स्थान .....  
...पिता का नाम .....बच्चे के जन्म के  
समय माता पिता का पता .....  
माता-पिता का रखाई पता .....की (स्थान)  
.....में जन्म दिया है।
2. यह कि लड़का/लड़की के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म  
दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के  
दस्तावेज संतुल्य कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि शपथ-पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चरपा कर दी गई  
है।
4. इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही  
हुआ था।
5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक .....से  
पहले क्रिसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी क्रिसी भी  
रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म  
का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज  
करवाऊंगा/करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त ..... शपथ ग्रहिता सत्यापित  
करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य  
हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की  
असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं  
स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

### प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथपत्र में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा इन्होंने शपथ पत्र में जो अंकन किया है वह मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति\*

हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति\*

दिनांक ..... स्थान.....

दिनांक ..... स्थान.....

नाम.....

नाम.....

पता.....

पता.....

पदनाम.....

पदनाम.....

### आदेश

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त घटना उपरोक्तानुसार घटित हुई है अतः जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं राजशाह जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(2) के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विलम्ब शुल्क 1/- रुपये लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक .....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर

जिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) गय मोहर

\* उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख/प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर विगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभापी (पुलिस) का प्रमाण-पत्र जिस पर उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान-पत्र)।

*Handwritten signature*